पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1839
दिनांक-30.07.2025

जोन मध्य/थाना आलमबाग

- **वादी से लूट की घटना कारित करने वाले 02 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **थाना आलमबाग पुलिस टीम द्वारा लूट की घटना का 24 घण्टे के अंदर किया सफल अनावरण**
- **वादी की लूटी हुई चेन व नगदी की शत प्रतिशत बरामदगी।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 29.07.2025 को समय करीब 12.30 बजे अभियुक्तगण द्वारा साधु के भेष बनाकर वादी मुकदमा श्री रोहन कश्यप से भिक्षा मांगने के बहाने से जेल रोड चौराहा आलमबाग के पास उनकी गाड़ी के आगे खड़े होकर गाड़ी रोककर भिक्षा मांगने लगे। वादी मुकदमा द्वारा उनको भिक्षा देने के लिये पर्स से पैसे निकालने के दौरान अभियुक्त गण द्वारा उनके हाथ से 4500रु0 नगद व गले से पहने हुयी चेन पीली धातु छीनकर भाग जाना। जिसके सम्बन्ध में वादी की तहरीरी सूचना पर थाना आलमबाग पर मु0अ0सं0 144/25 धारा धारा 126(2)/309(4)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

आज दिनांक 30.07.2025 को थाना आलमबाग पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की अभियुक्तगण विक्की नाथ पुत्र मौसमनाथ निवासी 01 जीटी रोड निरंकारी कालोनी, सपेरा बस्ती ग्राम आरके कालोनी थाना मुरथल जिला सोनीपत हरियाणा उम्र करीब 31 वर्ष 2. अरूण नाथ पुत्र मीना नाथ निवासी 01 जीटी रोड निरंकारी कालोनी, सपेरा बस्ती ग्राम आरके कालोनी थाना मुरथल जिला सोनीपत हरियाणा उम्र करीब 25 वर्ष को देवी खेड़ा रोड के पास से गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. विक्की नाथ पुत्र मौसमनाथ निवासी 01 जीटी रोड निरंकारी कालोनी, सपेरा बस्ती ग्राम आरके कालोनी थाना मुरथल जिला सोनीपत हरियाणा उम्र करीब 31 वर्ष
2. अरूण नाथ पुत्र मीना नाथ निवासी 01 जीटी रोड निरंकारी कालोनी, सपेरा बस्ती ग्राम आरके कालोनी थाना मुरथल जिला सोनीपत हरियाणा उम्र करीब 25 वर्ष

बरामदगी:-

- 4500/- रु0 नगद।
- 01 अदद् चेन पीली धातु।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 शिवप्रकाश वर्मा थाना आलमबाग लखनऊ
2. उ0नि0 सुरेश कुमार थाना आलमबाग लखनऊ
3. का0 रवेन्द्र कुमार थाना आलमबाग लखनऊ
4. का0 राज थाना आलमबाग लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1833
दिनांक 30.07.2025

जोन-उत्तरी/ थाना-अलीगंज

- **अवैध मादक पदार्थ की बिक्री करने वाले 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से कुल 2.060 किलोग्राम नाजायज गाँजा व 1127/- रुपये मात्र बरामद ।**

01.संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 30.07.25 को थाना अलीगंज की पुलिस टीम देखभाल क्षेत्र रोकथाम जुर्म जरायम चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन गोयल बीट क्षेत्र मे मामूर थी। मुखबिरखास ने आकर सूचना दी कि केंद्रीय विद्यालय के पास सड़क के किनारे एक संदिग्ध व्यक्ति हैं जिसकी गतिविधि कुछ संदिग्ध लग रही है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम मुखबिर के बताये हुए स्थान के पास पहुंचे कि मुखबिर ने दूर से इशारा किया कि यह वही व्यक्ति जिसके हाथ मे झोला है। पुलिस वालो को देखकर वह व्यक्ति भागने लगा कि संदेह होने पर पुलिस टीम द्वारा घेरघार कर पकड़ लिया गया।

पकडे गये व्यक्ति से उसका नाम व पता पूछते हुये भागने का कारण पूछा गया तो अपना नाम अभिषेक पुत्र स्व0 दुलारे नि0-हालपता झोपड़पट्टी नियर केंद्रीय विद्यालय थाना अलीगंज जनपद लखनऊ, मूलपता-ग्राम सिधौली थाना सिधौली जनपद सीतापुर उम्र-24 वर्ष बताया। पकड़े गये व्यक्तियो के पास से **2.060 किलोग्राम नाजायज गाँजा कुल 1127/- रुपये नगद बरामद हुये ।**

पकड़े गये व्यक्ति को उसके द्वारा किये गये जुर्म से अवगत कराते हुए आज दिनांक-30.07.2025 को गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 160/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट** पंजीकृत किया गया ।

विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है ।

02-अपराध का तरीका

अभियुक्त द्वारा अवैध गाँजा लाकर लखनऊ में अलग-अलग स्थानों पर अवैध रूप से चोरी-छुपे लोगों को ऊँचे दामों में बेच देना, जिससे कम समय में ज्यादा मुनाफा होना और अपना खर्च चलाना ।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.अभिषेक पुत्र स्व0 दुलारे नि0-हालपता झोपड़पट्टी नियर केंद्रीय विद्यालय थाना अलीगंज जनपद लखनऊ, मूलपता-ग्राम सिधौली थाना सिधौली जनपद सीतापुर उम्र-24 वर्ष (मजदूरी)

04-बरामदगी:-

- 2.060 किलोग्राम नाजायज गाँजा
- कुल 1127/- रुपये

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –

1. श्री अशोक कुमार सोनकर प्रभारी निरीक्षक थाना अलीगंज जनपद लखनऊ
2. उ0नि0 श्री संतोष कुमार आद्याप्रसाद दूबे
3. उ0नि0 श्री वेद प्रकाश वर्मा
4. का0 रजत यादव
5. का0 विवेक कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1836
दिनांक- 30.07.2025

जोन- दक्षिणी/थाना बिजनौर

- **थाना बिजनौर पुलिस टीम द्वारा बन्द घरों की रैकी कर चोरी करने वाले 01 शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार एवं 02 नफर बाल अपचारी को लिया गया संरक्षण में ।**
- **चोरी का माल (अनुमानित कीमत लगभग 04 लाख रूपये) बरामद ।**
- **थाना बिजनौर की सफलता ।**

01-संक्षिप्त विवरण-

थाना बिजनौर क्षेत्रान्तर्गत विगत कुछ समय से बन्द पड़े मकानों में कई चोरियाँ की घटना घटित हुई। दिनांक 30.05.2025 को थाना बिजनौर के मोहल्ला पटवारी में वादी के बन्द पड़े मकान से जेवरात व नगदी चोरी हो जाने सम्बन्ध में मु0अ0सं0- 0173/25 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

दिनांक 05.07.2023 को थाना बिजनौर में आर्यकुल कालेज के पास वादी श्रीमती रंजना सिंह के बंद पड़े मकान से जेवरात व नगदी चोरी हो जाने सम्बन्धी मु0अ0सं0- 0213/25 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

दिनांक 14.07.2023 को चमन कालोनी बिजनौर में वादी- श्री अली जामिन जैदी के बंद पड़े मकान से जेवरात व नगदी चोरी हो जाने सम्बन्ध में मु0अ0सं0- 0223/25 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

दि0 23.07.2025 को वादी श्री सैयद मजहर अब्बास रिजवी के बंद पड़े मकान से जेवरात व नगदी चोरी हो जाने सम्बन्ध में मु0अ0सं0- 0233/25 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया था ।

घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीम गठित की गयी थी। इन टीमों द्वारा घटना के सफल अनावरण, अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं माल बरामदगी हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा था। इन टीमों द्वारा सीसीटीवी कैमरों, मैनुअल व टैक्निकल साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 29/07/2025 की रात्रि को 23.55 बजे उपरोक्त चोरियाँ कारित करने वाले अभियुक्तगण/बालअपचारी को हिरासत/संरक्षण में लिया गया।

अभियुक्त/बाल अपचारी के कब्जे से चोरी गये सामान की बरामदगी की गयी। बिजनौर पुलिस द्वारा उपरोक्त मु0अ0सं0- 173/2025, 213/2025, 223/2025, 233/2025 में चोर /अभियुक्त नितिन पुत्र सुरेश नि0 कंकडकुआ थाना बिजनौर लखनऊ उम्र करीब 21 वर्ष व 2 बाल अपचारी को चोरी गये माल सहित गिरफ्तार कर/ संरक्षण में लिया गया, माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी करते हुए विधिक कार्यवाही कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।

02-मॉड्यूस ऑपरेंडी:- अभियुक्त/बाल अपचारी बंद पड़े मकानों को चिन्हित कर चोरी करते थे ।

04-अनावरित अभियोग-

1- मु0अ0स0 173/2025 धारा 305ए /317(2)बीएनएस थाना बिजनौर लखनऊ

2- मु0अ0सं0 223/25 धारा 305ए /317(2)बीएनएस थाना बिजनौर लखनऊ

3- मु0अ0सं0 233/25 धारा 305ए /317(2)बीएनएस थाना बिजनौर लखनऊ

4- मु0अ0सं0 213/25 धारा 305ए /317(2)बीएनएस थाना बिजनौर लखनऊ

05-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1-अभियुक्त नितिन पुत्र सुरेश नि0 कंकडकुआ थाना बिजनौर लखनऊ उम्र करीब 21 वर्ष

2- 02 नफर बाल अपचारी

06-बरामदगी-

बरामद कुल माल कीमती लगभग 4 लाख रूपये।

A.अभियुक्त नितिन से बरामद चोरी का सामान-	B.पहले बाल अपचारी से बरामद चोरी का सामान-
➢ 02 जोडी पायल सफेद धातु ➢ 02 जोडी बिछिया सफेद धातु ➢ 02 अदद अंगूठी पीली धातु ➢ 02 अदद नाक की कील पीली धातु ➢ 01 अदद छल्ला पीली धातु ➢ 01 अदद कान का टप्स पीली धातु ➢ 01 अदद चैन पीली धातु ➢ 01 जोडी कान की बाली पीली धातु	➢ 02 जोडी पायल सफेद धातु ➢ 01 जोडी बिछिया सफेद धातु ➢ 01 अदद अंगूठी पीली धातु ➢ 01 अदद नाक की कील पीली धातु ➢ 01 अदद कान के टप्स पीली धातु ➢ 01 अदद लॉकेट मंगलसूत्र पीली धातु ➢ 01 जोडी कान की बाली पीली धातु
C.दूसरे बाल अपचारी से बरामद चोरी का सामान- ➢ 01 जोड़ी पायल सफेद धातु ➢ 01 जोडी बिछिया सफेद धातु ➢ 02 अदद अंगूठी पीली धातु ➢ 01 अदद नाक की कील पीली धातु ➢ 01 अदद कान का टप्स पीली धातु ➢ 01 जोडी कान की बाली पीली धातु	

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

01- उ0नि0 गोविन्द सिंह थाना बिजनौर लखनऊ

02- उ0नि0 अरुण कुमारथाना बिजनौर लखनऊ

03- उ0नि0 तेजवीर सिंहथाना बिजनौर लखनऊ

04- उ0नि0 रविन्द्र कुमार थाना बिजनौर लखनऊ

05- मु0आरक्षी अरुण कुमार सिंह, थाना बिजनौर लखनऊ

06- हे0का0 अरशद खानथाना बिजनौर लखनऊ

07- का0 सुशील कुमार थाना बिजनौर लखनऊ

08- का0 चालक मनोज कुमार थाना बिजनौर लखनऊ

09- का0 संदीप कनौजिया थाना बिजनौर लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1837
दिनांक-30.07.2025

जोन- दक्षिणी/थाना- गोसाईंगंज

- **उत्तर प्रदेश से गोवंशीय पशुओं को तस्करी कर बिहार राज्य में मंगाकर खरीदने वाला शातिर वांछित अभियुक्त औरंगाबाद बिहार से किया गया गिरफ्तार।**
- **सर्विलांस टीम दक्षिणी जोन व थाना गोसाईंगंज पुलिस टीम की संयुक्त की कार्यवाही।**

01-कार्यवाही :-

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ **श्री अमरेन्द्र सिंह सेंगर** महोदय के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस उपायुक्त दक्षिणी **श्री निपुण अग्रवाल** महोदय के कुशल पर्यवेक्षण व श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त **श्री अमित कुमावत** महोदय तथा श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईगंज **श्री ऋषभ रूणवाल** महोदय के कुशल मार्गदर्शन एवं श्रीमान प्रभारी निरीक्षक **श्री ब्रजेश कुमार त्रिपाठी** द्वारा गठित टीम द्वारा वांछित चल रहे गोकशी के शातिर अभियुक्त को जनपद औरंगाबाद बिहार राज्य से गिरफ्तार किया गया।

02-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.05.2025 को थाना गोसाईंगंज क्षेत्रान्तर्गत पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर एक 12 टायरा ट्रक में 20 गोवंश बरामद हुए थे, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 207/25 धारा 3/5(क)(ख)/8 गोवध निवारण अधिनियम, 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 318(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त ट्रक के अलावा एक संदिग्ध स्विफ्ट डिजायर कार सफेद रंग की जिससे उपरोक्त तस्कर ट्रक खराब हो जाने के कारण भागे थे। उपरोक्त घटना के खुलासे के लिये पुलिस व क्राइम टीम काम कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज व इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों के आधार पर उपरोक्त अभियुक्तों की जानकारी का लगातार प्रयास किया जा रहा था।

इसी क्रम में दिनांक 17.05.2025 को मध्य रात्रि में मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त घटना में शामिल गो-तस्करों से बेली अण्डर पास जेल रोड पर थाना गोसाईगंज पुलिस टीम की मुठभेड़ हो गयी, जिसमें एक तस्कर शोएब उर्फ गैंडा को पैर में गोली लगी व उसके अन्य दो साथी जो मौके से भागे थे उनका पीछा कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। जिनकी पहचान फैजान व जाबिर के रूप में हुई। पूछताछ में अभियुक्तगणों द्वारा संगठित होकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से गोवंशीय पशुओं की तस्करी कर उनको बिहार राज्य में बेंचने की बात बतायी गयी थी।

जिसमें अभियुक्त मुनीर व फिरासत अली तस्करी वाले गोवंशों की व्यवस्था करते थे, जो कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों मेरठ, रामपुर, हरदोई, मुजफ्फनगर से तस्करी वाले गोवंश उपलब्ध कराते थे। फिर गोवंशीय पशुओं को ट्रक में लादकर बिहार राज्य के जिला औरंगाबाद, सासाराम एवं अन्य जनपदों में लगने वाली पशु मण्डी में बेंच देते हैं और जो भी लाभ होता था उसे हम लोग बराबर-2 बांट लेते थे। बरामद ट्रक का मालिक जाबिर है व एक ट्रक मुनीर के पास भी है। जिससे हम लोग गो-तस्करी करते हैं।

पूछताछ में सभी अभियुक्तों ने यह भी बताया कि हम लोगों के ऊपर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलो में मुकदमे दर्ज हैं, गो-तस्करी से ही हम लोग अपना व अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। हम लोग जिस ट्रक में गोवंश लदा होता है, उसके आगे पीछे चार पहिया गाडी से चलते हैं, जिससे यदि पुलिस पकड़े या पकड़ने का प्रयास करे तो अपने साथियों को चार पहिया गाड़ी से लेकर मौके से फरार हो सके।

दिनांक 05.05.2025 को पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे में हमारी गाड़ी खराब हो गयी थी, इसी कारण हम सभी ट्रक छोड़कर कार से फरार हो गये थे। दिनांक 17.05.2025 की मध्य रात्रि को पुलिस चेकिंग के दौरान तीनों अभियुक्तों को बेली अंडरपास के समीप पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था। पकड़ने के दौरान बचने के लिये अभियुक्त शोएब उर्फ गैंडा के द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस के ऊपर फायर किया गया था, जिसके उपरान्त पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ किये गये फायर में अभियुक्त शोएब के पैर में गोली लगी थी।

घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों मुनीर व फिरासत को भी दिनांक 17.05.2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उक्त घटना में गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों द्वारा गोवंशीय पशुओं को बिहार राज्य में अभियुक्त इलियास नट उर्फ बादाम पुत्र गुलाम रसूल निवासी ग्राम भुइया टोला मेला कोचार थाना बारुण जनपद औरंगाबाद बिहार को बेंचने की बात बतायी गयी थी। अभियुक्त इलियास नट उर्फ बादाम घटना के बाद से ही लगातार फरार चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी हेतु थाना गोसाईगंज एवं क्राइम टीम जोन दक्षिणी को लगाया गया था। जिनके द्वारा अभियुक्त इलियास नट उर्फ बादाम को उसके गृह जनपद औरंगाबाद, बिहार से गिरफ्तार किया गया है। नियमानुसार ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त कर अभियुक्त को जेल भेजा गया है।

पूछताछ में अभियुक्त इलियास नट उर्फ बादाम द्वारा बताया गया कि वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई पशु तस्करों से सम्पर्क में रहता था और उनसे गोवंशीय पशुओं को तस्करी कर ट्रक के माध्यम से बिहार राज्य में मंगाया जाता था। अभियुक्त इलियास नट उर्फ बादाम के द्वारा उत्तर प्रदेश से तस्करी किये गये गोवंशीय पशुओं को सस्ते दाम में खरीदा जाता था और फिर उनको वध किये जाने के लिये मंहगे दामों में पश्चिम बंगाल राज्य में ट्रक के माध्यम से ले जाकर बेंच दिया जाता था। अभियुक्त इलियास नट उर्फ बादाम के नाम कुल 03 ट्रक पंजीकृत होना पाये गये हैं, इन्हीं ट्रकों से इलियास के द्वारा उत्तर प्रदेश से मंगाये गये जानवरों को वध किये जाने के लिये पश्चिम बंगाल में तस्करी किया जाता था, जहां पर गोवंशीय पशुओं का अच्छा दाम मिल जाता था।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.इलियास नट उर्फ बादाम पुत्र गुलाम रसूल निवासी ग्राम भुइया टोला मेला कोचार थाना बारुण जनपद औरंगाबाद बिहार उम्र करीब 27 वर्ष

04-आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 207/25 धारा 318(2) बीएनएस, 3/5(क)(ख)/8 गोवध निवारण अधिनियम, 11(ड़) पशु क्रूरता अधिनियम थाना गोसाईगंज, लखनऊ

2. मु0अ0सं0 119/21 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना गोपीगंज जनपद भदोही

3. मु0अ0सं0 54/22 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम, 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 419/420/467/468/471 भादवि थाना गोपीगंज जनपद भदोही

4. मु0अ0सं0 54/23 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट, 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना औराई जनपद भदोही

(अभियुक्त इलियास नट उर्फ बादाम इस मुकदमे में लगातार वांछित चल रहा है, जिसके विरुद्ध थाना औराई (भदोही) पुलिस द्वारा धारा 82 द0प्र0सं0 (उद्घोषणा) की कार्यवाही की गयी है)

05- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. **उ0नि0 श्री अरविन्द यादव (चौकी प्रभारी जेल)**
2. उ0नि0 श्री विक्रान्त सिंह, थाना गोसाईगंज
3. का0 दीपक कुमार शाह, थाना गोसाईगंज
4. का0 रविन्द्र सिंह (सर्विलांस टीम साउथ जोन)
5. का0 अंकुर कुमार (सर्विलांस टीम साउथ जोन)

06- पूर्व की बरामदगी दिनांक 05.07.2025-

1. 01 अदद ट्रक (आगे पीछे भिन्न-2 नम्बर)
2. 20 अदद जिन्दा गोवंशीय पशु

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1835
दिनांक-30.07.2025

जोन-पश्चिमी/थाना-कैसरबाग

- **अवैध गांजा की बिक्री करने वाले 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से 01 किलो 900 ग्राम अवैध गांजा बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण:-

आज दिनाँक 29/30.07.2025 को उ0नि0 श्री योगेश चंदेल थाना कैसरबाग लखनऊ मय हमराह उ0नि0 रंजीत कुमार पाठक, उ0नि0 पवन कुमार मौर्या, हे0का0 अखिलेश के साथ चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन व देखभाल क्षेत्र में जेमिनी होटल के पास थे कि तभी मुखबिर के द्वारा मौके पर आकर बताया गया कि साहब दो लड़के परिवर्तन चौक की तरफ से जेमिनी होटल की तरफ वाले रोड पर आने वाले हैं वह दोनों अवैध गाँजा लिये हैं व घूमफिर कर बेंच रहे है।

इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये मुखबिर के साथ बताये स्थान पर पहुँच गए। मुखबिर ने इशारा करके बताया कि वह लड़के जो चौराहे के कोने पर खड़े है वहीं दोनो गाँजा लाकर बेचते हैं। यह बताकर मुखबिर चला गया। हम पुलिस वालों ने हिकमत अमली का प्रयोग करते हुए उनमें से एक लड़के को घेर घार कर पकड़ लिया दूसरा कुछ दूरी पर खड़ा था जो भागने में सफल रहा।

पकड़े गये लड़के से उसका नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम शारिक पुत्र तालिब निवासी 108/308 मछली माहोल जम्बूरखाना थाना कैसरबाग लखनऊ उम्र करीब 19 वर्ष बताया। मौके पर ली गई तलाशी से पहने हुये पैन्ट की दाहिनी जेब से एक काली पालीथीन में रखा हुआ करीब 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। नियमानुसार कड़ाई से पूँछताँछ करने पर पकड़े गये अभियुक्त ने बताया कि मैंने एक पिन्नी गांजा को बटलर पार्क में पीछे की तरफ पेडों के नीचे छिपाकर रखे है। पुलिस टीम ने शारिक उपरोक्त से वह जगह दिखाने को कहा गया तो वह आगे आगे चलकर बटलर पार्क में पीछे की तरफ एक पेड के पास में टंगी हुयी एक सफेद थैला निकालकर दिखाया। मौके पर विवेचना किट में रखे तराजू से तौलने पर बरामद माल का कुल वजन 1 किलो 700 ग्राम पाया गया।

अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 1137/2025 धारा 8/20 NDPS एक्ट पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

02- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1.मो0 शारिक पुत्र तालिब नि0 108/308 मछली मोहाल जम्बूरखाना थाना कैसरबाग लखनऊ उम्र करीब 19 वर्ष।

04 बरामदगी:-

- 01 किलो 900 ग्राम अवैध गांजा

05-गिरफ्तारी का स्थान, दिनाँक:-

(1) परिवर्तन चौक की तरफ से जेमिनी होटल की तरफ वाले रोड से 200 ग्राम अवैध गांजा, थाना कैसरबाग लखनऊ; दिनांक 29/07/25 समय 09.00 pm बजे

(2) बटलर पार्क के अंदर से करीब 1.7 किग्रा अवैध गांजा बरामद, दिनांक 30.07.2025

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 रंजीत कुमार पाठक
2. उ0नि0 योगेश चन्देल
3. उ0नि0 पवन कुमार मौर्या
4. हे0का0 अखिलेश

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1830
दिनांक 30.07.2025

जोन-उत्तरी/ थाना-रहीमाबाद

- **रहीमाबाद पुलिस टीम द्वारा हत्यारोपी वांछित मुख्य अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।**

01-संक्षिप्त विवरण-

संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय कमिश्नरेट लखनऊ के द्वारा चलाये जा रहे एनबीडब्ल्यू, वांछित अभियुक्तों, पुरस्कार घोषित अपराधियों व सक्रिय अपराधियों की गिरफ्तारी तथा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग व अपराधियों पर सतर्क दृष्टि रखने एवं पूर्व घटित घटनाओं का अनावरण किये जाने तथा अभियान के अन्तर्गत वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिये गये आदेश के अनुपालन व पुलिस उपायुक्त(उत्तरी) लखनऊ के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस उपायुक्त (उत्तरी) के मार्गदर्शन में तथा सहायक पुलिस आयुक्त मलिहाबाद के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 30.07.2025 को प्रभारी निरीक्षक रहीमाबाद जनपद लखनऊ के कुशल नेतृत्व में मु0अ0सं0 123/2025 धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित मुख्य अभियुक्त की पतारसी सुरागरसी के क्रम में ग्राम बख्तौरीपुर मोड़ के पास मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित मुख्य अभियुक्त जालामऊ की तरफ से लखनऊ हरदोई हाइवे की तरफ जा रहा है।

इस सूचना पर हम पुलिस वालो ने अभियुक्त पंकज को जालामऊ मोड़ से करीब 100 कदम की दूरी पर घेरकर पकड़ लिया तथा नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम **पंकज दीक्षित पुत्र स्व0 वीरेन्द्र दीक्षित निवासी ग्राम बख्तौरीपुर मजरा ससपन थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ उम्र करीब 39 वर्ष** बताया।

अभियुक्त उपरोक्त को कारण गिरफ्तारी बताते हुये आज दिनांक-30.07.2025 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना उसके परिवारीजनो को दी गयी। अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय में रिमाण्ड हेतु भेजा जा रहा है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.पंकज दीक्षित पुत्र स्व0 वीरेन्द्र दीक्षित निवासी ग्राम बख्तौरीपुर मजरा ससपन थाना रहीमाबाद लखनऊ उम्र करीब 39 वर्ष

03-पंजीकृत अभियोग-

01-मु0अ0सं0 123/2025 धारा 103(1) बीएनएस थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ

04-आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 81/2023 धारा 323/504/506 भादवि थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ

2.मु0अ0सं0 90/2024 धारा 323/504/506 भादवि थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ

3.मु0अ0सं0 206/2024 धारा 115(2)/117(2)/324(2)/333/351(3)/352 बीएनएस थाना रहीमाबाद लखनऊ

05-गिरफ्तार करने वाली थाना रहीमाबाद की पुलिस टीमः-

1-प्रभारी निरीक्षक आनन्द कुमार द्विवेदी थाना रहीमाबाद कमिश्नरेट लखनऊ

2.उ0नि0 उमेश यादव थाना रहीमाबाद कमिश्नरेट लखनऊ

3.उ0नि0 उपेन्द्र यादव थाना रहीमाबाद कमिश्नरेट लखनऊ

4.उ0नि0 संदीप कुमार थाना रहीमाबाद कमिश्नरेट लखनऊ

5.म0उ0नि0 संध्या पटेल थाना रहीमाबाद कमिश्नरेट लखनऊ

6.आरक्षी अरूण कुमार थाना रहीमाबाद कमिश्नरेट लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1831
दिनांक- 30.07.2025

जोन-पश्चिमी/थाना सआदतगंज

- **आपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत लखनऊ पुलिस एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से मा0 न्यायालय द्वारा धारा 411/413/414 भादवि थाना-सआदतगंज लखनऊ से सम्बन्धित अभियुक्त को 05 वर्ष का कठोर कारावास और 4,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

01-कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश महोदय के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत, श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय, श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय महोदय श्री अमित वर्मा द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व अपराधियों को माननीय न्यायालय मे अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालय मे सघन पैरवी के क्रम में पुलिस उपायुक्त पश्चिमी व अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिमी के निर्देशन में सहायक पुलिस आयुक्त बाजारखाला व प्रभारी निरीक्षक थाना सआदतगंज संतोष कुमार आर्य के नेतृत्व में में थाना स्थानीय के पैरोकार हे0का0 नरेन्द्र कुमार के द्वारा प्रभावी पैरवी व अथक प्रयास किया गया। थाना सआदतगंज पुलिस ने चोरी में संलिप्त अभ्यस्त अभियुक्त को दोषसिद्ध कराते हुए मा0न्यायालय से **05 वर्ष का कठोर कारावास के और 4000/- हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाने में सफलता प्राप्त की है।**

02- अभियुक्त का विवरण-

1-टेनी गुप्ता पुत्र राम शंकर गुप्ता निवासी मसानी देवी मन्दिर के पीछे बावली थाना सआदतगंज जनपद लखनऊ

03-फैसला का विवरण-

थाना सआदतगंज पर पंजीकृत **मु0अ0सं0 252/20 धारा 411/413/414 भादवि** से संबंधित सत्र परीक्षण संख्या 388/2023, इस प्रकरण में अभियुक्त टेनी गुप्ता पुत्र राम शंकर गुप्ता निवासी मसानी देवी मन्दिर के पीछे बावली थाना सआदतगंज जनपद लखनऊ को मा0 न्यायालय स्पे0 जज आयुर्वेद घोटाला प्र0 जनपद लखनऊ महोदय द्वारा सुनवाई के बाद दिनांक 02.07.2025 को 05 साल के कठोर कारावास व 4000/- हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। इस प्रकरण में थाना सआदतगंज पुलिस ने पैरवी में जो दक्षता और कर्तव्यनिष्ठा का प्रदर्शन किया, उसके परिणामस्वरूप पीड़ित को न्याय दिलाने में सफलता प्राप्त हुई है।

04-पैरवीकर्ता-

1. प्रभारी निरीक्षक थाना- सआदतगंज संतोष कुमार आर्य
2. हे0का0 नरेन्द्र कुमार यादव